In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

देव नारायण पाण्डेय बनाम राज नारायण पाण्डेय

T.S–336/2013

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
07.10.2025	वादीगण की ओर से दिनांक–03.10.2023 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–22 नियम–4 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि प्रतिवादी सं0–19 राम किशुन पाण्डेय की मृत्यु दिनांक–28.07.2023 को हो गई है, जिनका नाम विलोपित कर इनके स्थान पर इनके वारिसान–विष्णु कुमार पाण्डेय को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए एवं मौखिक रूप से बोले कि वादीगण के प्रतिस्थापना आवेदन के हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0–19 राम किशुन पाण्डेय का नाम अभिलेख पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु दिनांक–28.07.2023 को हो चुकी है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक–03.10.2023 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी सं0–19 राम किशुन पाण्डेय का नाम अभिलेख से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान–विष्णु कुमार पाण्डेय को प्रतिस्थापित करें। वास्ते दिनांक–09.12.2025 प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	